रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 1
PART II—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 2, 1984/आषाढ़ 11, 1906
No. 1] NEW DELHI, MONDAY, JULY 2, 1984/ASADHA 11, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1984

फाईल सं. 2(17)-ई.आई. एण्ड ई. पी.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन अधिनियम, 1984 (1984 का 40) की धारा 1 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2 जुलाई, 1984 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

र. दयाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July 1984

F. No. 2(17)/77-EI&EP.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Export (Quality Control and Inspection) Amendment Act, 1984 (40 of 1984), the Central Government hereby appoints the 2nd day of July, 1984, as the date on which the said Act shall come into force.

R. DAYAL, Jt Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984